

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल-462003
दूरभाष क्रमांक (0755) 2779411-12
(An ISO 9001:2015 Certified Office)

क्रमांक 43 /स्था./राज./प्र.अ./लोस्वायॉवि/2021

भोपाल, दिनांक 5-2-2021

चतुर्थ संशोधन/अनुपूरक आदेश

लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल प्रदाय एवं अन्य संबंधित कार्यों हेतु दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील एकीकृत दर अनुसूची (यूएसओआर) के दिनांक 06.08.2020 को जारी किये गये द्वितीय संशोधन के साथ संलग्न चैप्टर-XVII (General Miscellaneous) के आयटम 17.36 तथा चैप्टर- XXVI (RCC Elevated Service Reservoir/Over Head Tank (ESR/OHT), RCC Ground Service Reservoir (GSR), RCC Sumpwell, RCC Framed Brick Masonry Pump House and MS Staging for Polyethylene Tank) के आयटम 26.5 एवं 26.6 में उल्लेखित Polyethylene Tank को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :-

ISI Marked rotational moulded polyethylene water storage tanks as per IS:12701 (Amended upto date). Capacity wise minimum wall thickness and minimum weight of empty tank is as under:-

Sl. No.	Minimum Net Capacity Up to Effective Height (litres)	Minimum Wall and Bottom Thickness (mm)	Minimum Weight of Empty Tank in kg (Without Lid)
1	2	3	4
1.	200	3.0	7.8
2.	300	3.0	9.0
3.	400	3.5	15.0
4.	500	4.0	18.0
5.	700	4.4	23.0
6.	1000	4.5	33.0
7.	1500	4.5	47.0
8.	1700	4.5	54.0
9.	2000	5.4	64.0
10.	2500	7.7	81.0
11.	3000	8.1	96.0
12.	4000	10.4	147.0
13.	5000	10.7	180.0
14.	6000	10.7	205.0
15.	7500	10.7	239.0
16.	10000	11.5	319.0
17.	15000	11.5	408.0
18.	20000	13.2	566.0

उक्त क्षमता की टंकियों से संबंधित अन्य न्यूनतम माप IS:12701 की Table-1 में उल्लेखित है।


5.2.2021
(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

पृष्ठा क्रमांक 1179/स्था./राज./प्र.अ./लोस्वायॉवि/2021
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 5-2-2021

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, विध्याचल भवन, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल।
8. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, समस्त परिक्षेत्र मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, समस्त मण्डल मध्यप्रदेश।
10. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, समस्त खण्ड मध्यप्रदेश।
11. आदेश नस्ती।


S. 2. 2021
प्रमुख अभियंता